कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)

दूरभाष: 07412 - 235149

ई-मेल hegaaspgcrat@mp.gov.in
pgcolrtm@hotmail.com

दिनांक 11-09-2021

रैगिंग एक कुप्रथा है । रैगिंग क्यक्ति के विकास में बाधक भी होती है । रैगिंग को रोकने के लिए महाविद्यालय में एन्टी रैगिंग समिति का गठन किया जाता है । समिति के गठन का प्रारूप निम्नांकित है ।

1. प्राचार्य/संस्था प्रमुख – अध्यक्ष
2. जिला प्रशासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि – सदस्य
3. पुलिस अधीक्षक द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि – सदस्य
4. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत मीडिया प्रतिनिधि – सदस्य
5. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत प्राध्यापक – सदस्य
6. अशासकीय संस्था जो युवा वर्ग के विकास के लिए कार्यरत हो का प्रतिनिधि – सदस्य
7. दो विद्यार्थी – सदस्य

समिति के कार्य

1. समिति द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थी रैगिंग रोकने हेतु प्रचार-प्रसार किया जाता है ।
2. रैगिंग नियंत्रण के लिए विद्यार्थियों को हमेशा सजग एवं सचेत रहने हेतु समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है ।
3. समिति महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संस्था प्रमुख, स्थानीय पुलिस स्टेशन तथा स्थानीय प्रशासन के दूरभाष/मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराया जाता है ।
4. सभी विद्यार्थियो/उनके पालको से वचत पत्र लेगा कि वे रैगिंग मे भाग नही लेगें ।
5. रैगिंग रोकथाम संबंधी महाविद्यालय परिसर में सूचना का प्रदर्शन किया जाता है साथ ही छात्रों के समूह मे भी सूचना प्रसारित की जाती है ।
6. रैगिंग रोकने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों से संस्था प्रमुख द्वारा अपली की जाती है ।

(डॉ. संजय वाते)
प्राचार्य
Principal
Govt. Arts & Science College
Ratlam (M.P.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)
दूरभाष: 07412 - 235149
ई-मेल hegaaspgcrat@mp.gov.in
pgcolrtm@hotmail.com

महाविद्यालय में रैगिंग नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान/परिनियम

1. इस परिनियम में विहित अनुदेश महाविद्यालय में होने वाली घटना के लिए लागू होगा ।
2. इनमें से कोई एक व्यवहार अथवा कार्य माना रैगिंग जायेगा जैसे –

I. शारीरिक आघात – चोट पहुँचाना, चाटा मारना अथवा कोई दंड देना आदि ।

II. मानसिक आघात – मानसिक क्लेश पहुँचाना, छेडना, अपमानित करना, डाटना आदि ।

III. अश्लील अपमान – असभ्य चुटकले सुनाना, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिए बाध्य करना ।

IV. सहपाठियों के साथ – हुल्लड मचाना, चीखना, चिल्लाना आदि अनियंत्रित व्यवहार ।

3. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा अवलोकन करने पर कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा ।
4. ऐसी प्राप्त शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय में गठित प्रोक्टोरियल बोर्ड को सौपेंगे ।
5. प्राप्त शिकायतों की प्रोक्टोरियल बोर्ड छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा सहित महाविद्यालय के प्राचार्य को देगा ।
6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व विद्यार्थी द्वारा किया गया हो तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस को सुपूर्द करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।
7. प्रोक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर प्राचार्य दोषी विद्यार्थी पर आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे ।
8. रैगिंग में दोषी पाये जाने पर विद्यार्थी को प्राचार्य द्वारा निम्नानुसार दंडित किया जा सकेगा ।

I. महाविद्यालय से एक दो वर्ष के लिए निष्कासन ।

II. राज्य के किसी भी महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक लगायी जा सकती है ।

III. दोषी विद्यार्थी को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा ।

IV. अपील महाविद्यालय के प्राचार्य/संस्था प्रमुख को ही की जा सकेगी ।

V. प्राचार्य और प्रोक्टोरियल बोर्ड को ऐसी किसी भी घटना की विस्तृत जांचसंस्थित करने के पूर्व अधिकार होगे ।

VI. जांच हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना आवश्यक नही होगा । लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।

(डॉ. संजय वाते)
Principal
प्राचार्य
Govt. Arts & Science College
Ratlam (M.P.)